भाग– III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1–Diversion of 146.31 ha of forest land for construction of Rihand Thermal Power Project Stage-III(2x500 MW) Ash Dam and Ash Pipe Line in favour of in favour of NTPC in the Sonebhadra district of Uttar Pradesh-constitution of committee-reg.

2- Regularization of 555.759 ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division in Sonbhadra district of Uttar Pradesh.

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– एफ0पी0/यू0पी0/थर्मल/36097/2018)

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षेणो को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

दिनांक 13-12-2022

हस्ताक्षर

स्थान–मीरजापुर

नाम

सरकारी मोहर

एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर ,बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे प्रस्तुत प्रस्ताव का स्थलीय निरीक्षण ।

एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र द्वारा वर्ष 1989 मे 951.60 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या– 8–412/89–एफ0सी0 दिनांक– 23.08.1991 द्वारा 951.60 हे0 मे से 744.00 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी की गयी । प्रस्ताव प्रस्तुत करने एव सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष पूर्व से दाखिल रिट याचिका संख्या– 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य मे पारित विभिन्न आदेशो के अनुपालन मे वन बन्दोबस्त की कार्यवाही सम्पादित की गयी । वन बन्दोबस्त की कार्यवाही के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने से आच्छादित वन भूमि मे कुछ परिवर्तन हुआ जिसकी सूचना सक्षम स्तर से भारत सरकार के संज्ञान मे लाया गया । प्रकरण मे वस्तु स्थिति से संज्ञानित होने के उपरान्त एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक– 16.11.2017 को सम्पादित हुयी । एफ0ए0सी0 की बैठक मे लिये गये निर्णय के क्रम मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–412/1989– एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 06.11.2017 व इसके क्रम मे दिनांक– 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में बैठक सम्पन्न हुयी । उक्त बैठक दिनांक– 14.12.2017 के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या– 1 निम्नानुसार है :–

" भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें "।

उक्त निर्देशों के अनुपालन मे एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग मे लाई जा रही 555.759 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/THERMAL/36097/2018 प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत किये गये ऑन लाइन प्रस्ताव से आच्छादित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक– 25.02.2023 को किया गया । निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत वन भूमि पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक– 23.08.1991 के अनुपालन मे थर्मल पावर का निर्माण किया गया है । अतः प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है ।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश